

# राण का सत्यापन वार्ड पंच की गा और शुरूआत राजसमंद से होगा।

मे मासी जीशी ने कहा कि राजसमंद में ग्राम त्री सभा के माध्यम से 47263 आदमी ज मकान के लिये एप्लीकेट ढूँढ़ दूँगे। इसका या मतलब है कि ग्राम सभा में सही चयन होता तो ये पहले ही रेटेज पर सभी

एकमारसाइज हो जानी चाहिये श्री फि कितन आदीमर्यादे के पास मकान नहीं है। ग्राम सभा में जो प्रभावशाली है, उस लोगों के नाम लिस्ट में नहीं आने देते जिनके पास मकान नहीं हैं।

राष्ट्रद्वारा - 12/2/2020

अन्नपूर्णा

## महिला अभियानिकारी महाविद्यालय, अजमेर

नवीराबाद रोड, मालपुरा, अजमेर-305002

फोन नं.: 0145-2605535 वेबसाइट : [www.gweca.ac.in](http://www.gweca.ac.in)

क्रमांक : मायम / 2020 / 534

दिनांक 11.02.2020

महाविद्यालय परिसर में अस्थाई कॉन्ट्रिन भवन को यथा स्थिति आधार पर छात्राओं के हित ने संचालन देतु इस क्षेत्र के अनुनयी नियिदादांतों से नियिदाएं आमंत्रित की जाती है। नियिदा से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेज महाविद्यालय की वेबसाइट [www.gweca.ac.in](http://www.gweca.ac.in) पर उपलब्ध है। महाविद्यालय में खेलकूद व वाष्पिकोत्सव फैसली व मार्च माह में प्रस्तावित है, अतः टेन्ट व अन्य सप्लाई फर्मों से बन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। अन्तिम तिथि प्रकाशन तिथि से सात दिवस के अन्दर दिनांक 18.02.2020 को समय प्रातः 11.00 बजे तक ली जाकर प्रातः 11.30 बजे खोली जावेगी।

## कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर रजि. बेचान-नामा

क्रमांक/ न.वि.कर/19-20/29832

दिनांक : 11.2.2020

### सार्वजनिक सूचना

श्री तुलसीराम पुत्र श्री श्रीतरमल जी साहू, निवासी कृष्णा कॉलोनी, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर जिला अजमेर ने आवेदन प्रस्तुत कर 5/3 रामनगर दोयम में स्थित मकान नं. 26 जो कि नगर परिषद, ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में निजी सम्पत्ति श्री रामचन्द्र श्री श्रीमाल के नाम है तत्पश्चात उक्त प्लॉट को रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 3.1.2013 व 9.1.2014 को प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है।

अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करो। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

## कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर रजि. बेचान-नामा

क्रमांक/ न.वि.कर/19-20/29831

दिनांक : 11.2.2020

### सार्वजनिक सूचना

श्री रिकू साहू पुत्र श्री तुलसीराम साहू, निवासी कृष्णा कॉलोनी, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर जिला अजमेर ने आवेदन प्रस्तुत कर 5/9 उत्तरी नेहरू नगर, गली नं. 02 (लेबर कॉलोनी टाडगढ गेट, ब्यावर) मकान नं. 15 जो कि नगर परिषद, ब्यावर के नामीय

प  
ओल  
मौक  
स्टेडि  
जायेग  
ए

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राज. सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)  
माखुपुरा, नसीराबाद रोड, अजमेर (राज.) पिन कोड़: 305002  
फोन नं. 0145-2695535 वेबसाइट: [www.gweca.ac.in](http://www.gweca.ac.in)

## महाविद्यालय मे केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या..... दिनांक ..... / ..... / 20

1. निविदादाता का नाम :  
2. निविदादाता का पता :

कार्यालय उपयोग
मूल्य रु. 500/- मात्र
रसीद
दिनांक
हस्ताक्षर रोकडिया

3. निविदा शुल्क (डिमाण्ड ड्राफ्ट / रसीद संख्या ..... व दिनांक )  
4. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये है इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ तथा पालन करूँगा।  
5. निविदा संख्या ..... में वर्णित सेवाओं की आपूर्ति प्रत्येक सेवा के लिये अंकित राशि में निर्धारित अवधि में कर दी जायेगी।  
6. इन सेवाओं की आपूर्ति लिखित आदेश प्राप्ति से ..... दिवस की अवधि में कर दी जायेगी।  
7. यह अनुबंध दर ..... दिवस की अवधि के लिये प्रभावित है। इस अवधि में पारस्परिक सहमति से अभिवृद्धि की जा सकती है।  
8. धरोहर राशि रु. .... (अक्षरे रु. ....) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... / ..... / 20... जारी कर्ता बैंक व ब्रांच का नाम ..... संलग्न / जमा करवा दिया गया है।  
9. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है।  
10. इसके साथ दो वर्ष का चिट्ठा, आयकर चुकती प्रमाण पत्र, वैट पंजीयन एवं खाद्य वस्तु विक्रय पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदा शर्तों के नियमानुसार अन्य दस्तावेज संगलन किये जाते है।  
11. केन्टीन संचालन अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा:

मैं/हम/घोषण करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/ हमने जिन कार्यों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम द्वारा सम्बन्धि विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर व केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के नियमों / आदेशों की पालना करता हूँ। यदि ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में सम्पहत कर लिया जाये तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है उसे रद्द कर दिया जायेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर )

WOMEN ENGG. COLLEGE, AJMER College\_Canteen\_Tender\_Feb\_2020

6

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

मूल्य रुपये 500/-

## अनुबंध आधार पर केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तें

1. निम्नलिखित शर्तों में संस्थान का अर्थ अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर समझा जाए एवं संस्था का अर्थ निविदा प्रेषित करने वाली फर्म से होगा।
2. निविदा संस्थान द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित दरों के अनुरूप ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा उचित रूप से सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में “केन्टीन संचालन हेतु निविदा” अंकित होना चाहिये।
4. संस्थान प्रशासन द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जो कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ नियम 7 राजस्थान खाद्य नियम 1957 के अन्तर्गत खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रपत्र (ब) संलग्न करना होगा इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायगी।
7. निविदादाता को आयकर निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 मे पंजीयन होना चाहिये। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करनी आवश्यक होगी।
8. निविदादाता को P.F. व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. संस्थान प्रशासन बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।
10. निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है एवं जो दरें अंकित की गई हैं वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
11. संस्थान में केन्टीन संचालन का समय प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुरूप निर्धारित किया जायेगा। किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् तक सेवाएँ ली जा सकती हैं। निश्चित कार्य अवधि के अतिरिक्त अगर कर्मचारी से कार्य लिया जाता है तो उसका अतिरिक्त पारिश्रमिक संस्था द्वारा देय होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान महाविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
12. सेवाएँ उपलब्ध कराने की राशि अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये। इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिये। कटिंग अथवा संशोधन होने की स्थिति में लघु



# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

हस्ताक्षर किये जाने चाहिये । यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हों तो दरें नहीं अंकित करनी है । स्पष्ट अंकित किया जाये ।

13. दरें अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 10 दिवस में सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध करानी होगीं अन्यथा प्रतिदिन प्रति सेवा रु. 100/- किराया बिल में कटौती की जावेगी ।
14. संस्था द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की हानि होती हो तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा तथा हानि की राशि को संस्था के भुगतान से काट लिया जायेगा ।
15. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इसे अनुबंध का खंडन माना जावेगा एवं संस्थान प्रशासन को धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
16. धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा –
  - जब निविदादाता निविदा खोलनें के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।
  - जब निविदादाता विर्णिदिष्ट समय के भीतर अनुबंध नहीं करता है ।
  - जब निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी जाती है ।
17. सफल निविदादाता द्वारा निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर करार-पत्र निष्पादन करना होगा जिस कार्य के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई है तीन दिवस के अंदर उसकी प्रतिभूति की राशि भी जमा करानी होगी ।
18. सफल निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा कराई गई धरोहर राशि की प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जायेगा ।
19. प्रतिभूति राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
20. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरुद्ध है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर निरस्त कर दिया जायेगा ।
21. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था / ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र नहीं ।
22. संस्थान के केन्टीन में खाद्य एवं पेय प्रदार्थों की दरें महाविद्यालय प्रशासन से स्वीकृत करना के बाद ही छात्र/छात्राओं व संस्थान के स्टाफ/अतिथि को सामग्री उपलब्ध करानी होगी व सूची केन्टीन परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाई रखनी होगी। किसी भी सामग्री की दरें बढ़ाने से पूर्व महाविद्यालय प्रशासन से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा करार पत्र का

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

उलघन माना जायेगा तथा द्वारा संस्था पर जुर्माना लगाया जायेगा अथवा उक्त करार/निविदा तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

23. अनुबंध की शर्तों तथा किसी अन्य सम्बन्धित मामलों में संस्थान का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
24. केन्टीन संचालन का किराया /बिजली का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ (तीन प्रतियों में) प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा किराया/बिजली का भुगतान एकाउंट पेयी चैक संस्था द्वारा महाविद्यालय में जमा कराया जावेगा। यदि निश्चित दिनांक पर किराया/बिजली राशि महाविद्यालय में जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन रूपये 500/- दण्ड के रूप में अतिरिक्त जमा करानी होगी व भवन किराया एवं बिजली की राशि दो माह तक जमा नहीं कराने पर करार पत्र का उलंघन माना जायेगा व संस्थान 7 दिवस का नोटिस देकर केन्टीन परिसर खाली करने का आदेश देगा व संस्था को मान्य होगा व बकाया राशि धरोहर राशि से समायोजित कर ली जावेगी।
25. अनुबंध की शर्तों के अनुरूप यदि सेवाएँ संतोषप्रद नहीं रही तो 7 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर / प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
26. संस्था को किसी भी महाविद्यालय या संस्थान या शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र के संस्थान में केन्टीन चलाने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। अतः सत्यापित प्रमाण—पत्र जहाँ भी कार्य किया हो उसे संलग्न करें।
27. अनुबंध की अनुमति कार्य करने की क्षमता एवं अनुभव को ध्यान में रखकर पहले तीन माह के लिये दी जायेगी जो संतोषजनक कार्य पाये जाने पर समय—समय पर प्रथम आदेश की दिनांक से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। एक वर्ष बाद अनुबंध के नवीनीकरण पर विचार सम्भव है।
28. संस्था को केन्द्र व राज्य सरकार के किराया अधिनियम व श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा तथा उन नियमों की पालना के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
29. संस्था द्वारा केन्टीन परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थल का उपयोग नहीं किया जायेगा व महाविद्यालय को उक्त परिसर/भवन को किसी भी कार्य में लेने का अधिकार सुरक्षित होगा व आवश्यकता होने पर एक माह का नोटिस देकर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा केन्टीन परिसर/भवन को खाली कराने का अधिकार होगा जिसके लिये संस्था किसी न्यायालय में वाद दायर नहीं करेगा व महाविद्यालय के आदेश कि पालना करेगा। संस्था अन्तर्गत कार्य कर रहे सेवाकर्मियों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी संस्था की होगी

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

30. संस्था को ठेका मिलने के पश्चात् केन्टीन कार्य में संस्था द्वारा नियोजित व्यक्तियों की दुर्धटना बीमा ( 1 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) करवाकर पॉलीसी की प्रतिलिपि महाविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।
31. निविदादाता को निविदा भरने के लिए संस्था की दो वर्ष की बेलेंस शीट, वैट पंजीयन, आयकर चुकती प्रमाण पत्र, खाद्य वस्तु पंजीयन, एवं सर्विस टैक्स के नियमानुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा पंजीयन तथा निविदा की शर्तों के अनुरूप अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। इनके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
32. केन्टीन में खाद्य एवं पेय प्रदार्थ बनाने की कच्ची सामग्री, ईधन व इन्हे बनाने हेतु अन्य उपकरण व सुविधाए संस्था को करनी होगी, कच्ची सामग्री की जांच महाविद्यालय प्रशासन एवं नियुक्त प्रतिनिधि/समिति के द्वारा कभी भी की जा सकेगी । कच्ची सामग्री के गुणवत्तापूर्ण नहीं पाये जाने पर समिति की अभिंशांका कर जुर्माना/करार प्रत्र समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा ।
33. बीमा: संस्था द्वारा सामग्री रखने के स्थान एवं भोजन कक्ष में रखी गई सामग्री फर्नीचर, उपकरण व भवन का बीमा करवाकर बीमे की फॉटो प्रति संस्थान को कार्य आदेश के दिनांक से 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी ।
34. निर्धारित नुकसान वस्तु: संस्था द्वारा महाविद्यालय से आवंटित भवन/फर्नीचर , पंखे, ट्यूबलाईट एवं अन्य उपकरणों एवं सामनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था की होगी। उक्त सामग्री की टूट-फूट एवं गायब होने की स्थिति में भरपाई संस्था द्वारा प्रेषित अमानत राशि व नकद जमा करानी होगी प्रेषित अमानत राशि में से कटोती या नकद जो मूल क्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिक राशि वसूल की जायेगी ।
35. निर्धारित नुकसान भोजन आपूर्ति : महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ को खाद्य एवं पेय प्रदार्थ निर्धारित समय पर तथा गुणवत्तापूर्वक नहीं देने एवं देरी से देने व अवकाश रखने की स्थिति में प्रत्येक माह में कुल तीन दिवस पर कुल किराया राशि का 2.5% एवं 7 दिवस पर 5% व 15 दिवस पर 7.5% इस से अधिक पर 10% निर्धारित नुकसान नकद/ धरोहर/ अमानत राशि से वसूल की जावेगी ।
36. संस्थान की केन्टीन परिसर/फर्नीचर व उपकरण एवं भवन की साफ सफाई एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था की होगी। संस्था द्वारा कचरा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर डाला जायेगा उक्त व्यवस्थाओं में कमी रहने पर करार पत्र का उल्घन माना जायेगा जिसके क्रम में समिति/प्रशासन द्वारा निर्धारित जुर्माना/दण्ड संस्था को देना होगा ।

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

37. केन्टीन कार्मिक : संस्था द्वारा केन्टीन संचालन में लगाये गये कार्मिकों के वेतन भत्ते बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि मेडिकल सुविधा ठेकाश्रम अधिनियम 1970-71 के नियम 25 (1) अन्तर्गत पंजियन एवं सुविधाएँ इसके अतिरिक्त श्रम विभाग में जारी नियमों उपनियमों की पालना एवं समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी। महाविद्यालय किसी भी प्रकार से वाद-ववाद के दायरे में नहीं आयेगा। व उपरोक्त कर्मचारी महाविद्यालय के नहीं माने जायेंगे।
38. केन्टीन कार्मिक ड्रेस एवं अन्य नियम : संस्था द्वारा केन्टीन में रखे गये कार्मिकों को निर्धारित ड्रेस उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्मिकों की पूर्ण सूचि, बायोडाटा मय कलर फोटोग्राफ महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रत्येक केन्टीन कार्मिक को संस्था द्वारा पहचान पत्र मय कलर फॉटोग्राफ जारी किया जायेगा। जिसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने शर्ट / साड़ी / कुर्ते पर लगाना होगा। उपरोक्त ड्रेस एवं पहचान पत्र नहीं होने पर राशि रूपये 100/- प्रतिदिन संस्था से वसूली जायेगी। किसी भी कार्मिक को हटाने या नया कार्मिक लगाने की लिखित अनुमति महाविद्यालय प्रशासन से लेनी होगी।
39. चाय/नाश्ता/भोजन व्यवस्था : संस्था को महाविद्यालय एवं छात्र/छात्राओं को चाय/नाश्ता/अन्य खाद्य प्रदार्थ एवं पेय प्रदार्थ अनुबन्धन की शर्तों एवं प्रशासन द्वारा स्वीकृत दरों पर देना होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व उचित माध्यम से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करनी होगी एवं स्वीकृत मीनू चार्ट को केन्टीन नोटिस बोर्ड पर हमेशा लगाया जायेगा।
40. केन्टीन की समस्त व्यवस्थाओं का औचिक/ समय समय पर निरिक्षण संस्थान प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं इनमें त्रृटि/कमी पाई जाने पर समिति द्वारा निर्धारित जुर्माना अथवा दण्ड को संस्था द्वारा भरना होगा।
41. महाविद्यालय में छात्राओं की कुल संख्या तथा छात्रावासों में छात्राओं की कुल संख्या परिवर्तित होती है, परिवर्तन तथा छात्राओं के कैन्टिन उपयोग की मांग परिवर्तित होती है जिसके कारण कैन्टिन संचालन व संचालक में बाधा उत्पन्न होती है। अतः उक्त निविदा ध्यान पूर्वक पढ़कर निविदादाता को दर राशि देना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर एकल निविदा पर भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विचार किया जा सकता है। मासिक राशि व अन्य का ध्यान छात्राओं के हित में उचित खान-पान की सुविधा प्रदान करना होगा, इसका उद्देश्य महाविद्यालय को राशि अर्जित करना नहीं होगा।

दिनांक :

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(वित्तीय निविदा प्रपत्र)

## केन्टीन संचालन की निविदा हेतु विवरण

<u>क्र. सं.</u>	<u>उपलब्ध करवाये जाने वाली सेवा का व्यय विवरण</u>	<u>छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ की अनुमानित संख्या</u>	<u>किराया राशि रूपये प्रतिमाह</u>	<u>धरोहर राशि रु.</u>	<u>प्रतिभूति राशि रु.</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	केन्टीन परिसर/भवन का मासिक किराया	1000 (परिवर्तित)		50,000/-	धरोहर राशि परिवर्तित
कुल योग राशि रूपये (शब्दों में).....					

- बिजली व्यय प्रतिमाह मीटर यूनिट के आधार पर महाविद्यालय के विद्युत बिल अध्यारोपित प्रति यूनिट की दर से देना होगा। तथा पानी का चार्ज 200/- प्रतिमाह के हिसाब से देना होगा।
- 

दिनांक :

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

स्थान :

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

खाद्य सामग्री की सूची (केन्टीन अनुबन्ध दर)

महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

नसीराबाद रोड, माखुपुरा, अजमेर-302005

क्र.सं.	पदार्थ का नाम	मात्रा	राशि (₹०)
1.	चाय (एक कप) *	100 मिली	5.00
2.	कॉफी *	100 मिली	10.00
3.	समोसा / कचोरी *	एक नग	10.00
4.	ब्रेड पकोड़ा (आलू का)	75 ग्राम	10.00
5.	वेज पकौड़ा / पोहा *	100 ग्राम	10.00
6.	सब्जी / दाल	पर प्लेट	20.00
7.	छोले / सब्जी-4 पूँडी	पर प्लेट	25.00
8.	एक पकौड़े के साथ करी (कटोरी स्टैन्डर्ड साईज़)	पर प्लेट	10.00
9.	दो पूँडी सब्जी के साथ	30 ग्राम पूँडी	20.00
10.	दो भट्ठूरे छोले के साथ (पूर्ण मात्रा) *	पर प्लेट	30.00
11.	लड्डू (बेसन / बून्दी)	30 ग्राम	10.00
12.	बर्फी (नारियलखोया)	20 ग्राम	5.00
13.	राईस प्लेट सब्जी के साथ (150 ग्राम)	पर प्लेट	30.00
14.	सांभर-बड़ा	टू पीस (30 ग्राम प्रत्येक)	30.00
15.	रवा डोसा चटनी के साथ	एक नग	40.00
16.	मसाला डोसा सांभर के साथ	एक नग	50.00
17.	ईडली एक प्लेट सांभर के साथ	दो नग	30.00
18.	लंच (चावल, एक दाल, चार चपाती, एक सब्जी, दही / रायता-100 मिली)	दो नग	45.00
19.	चावल + राजमा	पर प्लेट (फुल)	30.00
20.	रोटी	प्रति नग	3.00
21.	चाउमीन	फूल प्लेट	40.00
22.	उत्पम	1 प्लेट	20.00
23.	कटलेट-टू पीस (50 ग्राम एक पीस)	1 प्लेट	15.00
24.	वेजीटेबल सेंडवीच	1 पीस	20.00
25.	बर्गर	1 पीस	20.00
26.	सेंडवीच प्लेन	1 पीस	15.00
27.	सेंडवीच चीज	1 पीस	30.00
28.	दही / दूध / छाछ (सरस अथवा पैक) **	-	प्रिन्ट दर से
29.	फ्रूट ज्यूसू	-	प्रिन्ट दर से
30.	टमेटो सूप	200 मिली	10.00
31.	मैगी	प्रति प्लेट	20.00

## महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

32.	आलू पराठा + अचार *	100 ग्राम	30.00
33.	प्लेन पराठा + अचार *	70 ग्राम	20.00
34.	कोल्ड ड्रिंक, आईसक्रीम, डेयरी पदार्थ, चाकलेट, बिस्कूट	-	प्रिन्ट दर/प्रिन्ट दर से कम
35.	पेस्ट्री (प्लेन) *	एक नग	10.00
36.	पेटीज (आलू)*	एक नग	10.00

नोट :-

1. चाय कैन्टीन सामान्य तरीके से प्रचलित प्रणाली (मशीन द्वारा तैयार चाय बिक्री हेतु मान्य नहीं होगी) से बनाई जाकर महाविद्यालय स्टॉफ कर्मियों के लिए कैन्टीन कर्मचारी द्वारा ही सेवाए प्रदत्त करनी होगी, यह अनिवार्य रूप से कैन्टीन संचालक को बाध्य होगा।
2. मार्क आइटम अनिवार्य रूप से रखने होंगे।
3. ऊपर दी गई खाद्य सामग्री की सूची में तय की गई दरों पर भोजन एवं नाश्ता उपलब्ध कराना होगा।
4. कार्य-आदेश जारी के समय व समयानुसार दर परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।
5. \*\* मार्क आइटम –
  - (i) 500 ग्राम दूध को गर्म कराने का अतिरिक्त चार्ज 05/- रुपए तथा गिलास में लेने पर प्रति गिलास 02/- रुपए देने होंगे।
  - (ii) छाँच भी गिलास में लेने पर अलग से प्रति गिलास 02/- रुपए देने होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

# महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

खाद्य सामग्री (ज्यूस) की सूची (केन्टीन अनुबन्ध दर)  
महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर  
नसीराबाद रोड, माथुपुरा, अजमेर-302005

क्र.सं.	पदार्थ का नाम	मात्रा	राशि (रु0)
1.	ज्यूस ( मौसमी )	200 मिली	20.00
2.	ज्यूस ( पाइनेपल )	200 मिली	15.00
3.	ज्यूस ( मैंगो )	200 मिली	20.00
4.	ज्यूस ( पपीता )	200 मिली	15.00
5.	ज्यूस (पपीता सेक)	200 मिली	25.00
6.	ज्यूस ( मैंगो सेक )	200 मिली	25.00

अन्य प्रकार के सामग्री (ज्यूस) की मांग व आवश्यकतानुसार मात्रा व दर अनुमोदित किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर